

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन से "लोकल टू ग्लोबल" हो रहे स्थानीय उत्पाद

"एक जिला एक उत्पादन नीति" से राजस्थान के उत्पाद विश्व पटल पर बना रहे अपनी विशिष्ट पहचान

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार "एक जिला एक उत्पाद नीति-2024" के माध्यम से राजस्थान के प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान को वैश्विक स्तर पर लाने का प्रयास कर रही है। इस नीति के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में उत्पाद का चयन किया गया है, जिससे स्थानीय संसाधनों और कौशल का बेहतर उपयोग हो सके। साथ ही, प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान को संरक्षित रखते हुए प्रमुख उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाये। इस नीति के माध्यम से गांवों में उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है तथा उद्यमियों को तकनीकी सहयोग, वित्तीय सहायता



और बाजार तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे उन्हें आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। नीति के अंतर्गत उद्योगों को मार्जिन मनी अनुदान, एडवॉस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर खरीदने, क्वालिटी सर्टिफिकेशन व आईपीआर, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने

उद्यमिता को मिल रहा बढ़ावा, गांवों में रोजगार के नए अवसर : भजनलाल शर्मा

पर पुनर्भरण सहायता प्राप्त होगी। राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए व्यापक वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में इस नीति के तहत नए लघु एवं सूक्ष्म औद्योगिक उद्यम स्थापित करने के लिए परियोजना लागत का अधिकतम 25 प्रतिशत (अधिकतम 25 लाख रुपये) तक मार्जिन मनी सब्सिडी देय है। साथ ही,

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के तकनीकी उन्नयन के लिए नवीनतम तकनीक एवं सॉफ्टवेयर के अधिग्रहण पर 50 प्रतिशत तक (अधिकतम 5 लाख रुपये) की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। एक जिला-एक उत्पाद नीति में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्रों और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर किए गए खर्चों के लिए 3 लाख रुपये तक 75 प्रतिशत पुनर्भरण का प्रावधान है। साथ ही, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शामिल होने के लिए दो साल तक प्रति वर्ष 1 लाख रुपये तक 75 प्रतिशत पुनर्भरण भी देय है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन को बढ़ावा देने के लिए मान्यता प्राप्त

राष्ट्रीय संस्थानों से एडवॉस टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर खरीद पर 5 लाख रुपये तक 50 प्रतिशत सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। इस नीति के तहत उद्यमियों को कौशलिंग सेवाओं और ई-कॉमर्स वेबसाइटों के डवलपमेंट के लिए 60 प्रतिशत और अधिकतम 75 हजार तक सहायता देकर डिजिटल मार्केट के विस्तार में सहयोग दिया जा रहा है। जिससे उत्पादों की ब्रांडिंग हो सके, साथ ही, बाजार तक बहुत सुनिश्चित हो। वित्तीय प्रोत्साहन, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट और मार्केट विस्तार जैसे पहलों के माध्यम से यह नीति जिला स्तर के उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है।

देवनानी ने केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया से भेंट की

तारागढ़ किला और वरुण सागर को आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए केंद्रीय सहायता दिलाने का आग्रह

जयपुर (कासं)। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपने नई दिल्ली प्रवास में मंगलवार को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भेंट की और अजमेर के पर्यटन विकास कार्य और कतिपय अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की।



राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से मुलाकात की।

केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के साथ भेंट में विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने अजमेर के ऐतिहासिक तारागढ़ किला और वरुण सागर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा की और इसके लिए यथोचित केंद्रीय सहयोग प्रदान कराने का आग्रह किया।

देवनानी ने बताया कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान से जुड़े ऐतिहासिक तारागढ़ किला के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने भी अपने बजट में वित्तीय प्रावधान की घोषणा की है। ऐतिहासिक तारागढ़ किला को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता की महती आवश्यकता है। इसी प्रकार अजमेर के वरुणसागर जिसका पूर्व में नाम फाय सागर था, को भी पर्यटन की दृष्टि से आकर्षक बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है तथा यहाँ शीघ्र वरुण देवता की आठ धातु की एक मूर्ति भी स्थापित की जायेगी। देवनानी ने बताया कि अजमेर में अंग्रेजी और औपनिवेशिक काल की गुलामी के प्रतीक कई नामों को बदला गया है। इसी क्रम में फाय सागर का नाम भी परिवर्तित कर जल के देवता वरुण सागर के नाम पर रखा गया है। उन्होंने बताया कि वरुण सागर को एक

अजमेर में डाकघर और बीएसएनएल से सटी सड़क सम्बन्धी विषय पर कार्यवाही कराने का अनुरोध

आकर्षक पर्यटन स्थल बनाने के प्रयास किए जा रहें हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने विधानसभा अध्यक्ष देवनानी का आभार व्यक्त किया कि ऐतिहासिक तारागढ़ किला और वरुण सागर सहित अजमेर के अन्य पर्यटन स्थलों के विकास का विस्तृत प्रोजेक्ट बना कर केन्द्र सरकार से समुचित केन्द्रीय सहायता दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से अजमेर में बीएसएनएल और डॉक घर कार्यालय के पास की सड़क को चौड़ी करने सम्बन्धी विषय पर चर्चा की तथा बताया कि अजमेर में जाम की

समस्या को दूर करने तथा सुचारु यातायात व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए इन कार्यालय के पास की सड़क को चौड़ी करना आवश्यक है। जनहित में इन कार्यालयों को भूमि की आवश्यकता है। क्योंकि नए एलिक्ट्रिक रोड और आया फोर्ट गेट के पास प्रायः दुर्घटनाएं होती हैं। उन्होंने सिंधिया से इस लम्बित विषय का शीघ्र निराकरण करने के लिए सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया। केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विधानसभा अध्यक्ष देवनानी को आभार व्यक्त किया कि वे इस सम्बन्ध में शीघ्र ही अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने दोनों केन्द्रीय मंत्रियों को विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष-नवाचारों के 2 वर्ष और विधान सभा की दैनिकी के साथ ही अपनी स्वलिखित पुस्तक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक भेंट की।

डीओआईटी के विशेष सचिव और राजस्थान हैल्थ इंश्योरेंस के सीईओ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

जयपुर। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने आदेश की पालना नहीं करने पर डीओआईटी के विशेष सचिव व आयुक्त हिमांशु गुप्ता व राजस्थान हेल्थ इंश्योरेंस के सीईओ हरजीमल अटल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर 16 अप्रैल को तलब किया है।

जयपुर। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने आदेश की पालना नहीं करने पर डीओआईटी के विशेष सचिव व आयुक्त हिमांशु गुप्ता व राजस्थान हेल्थ इंश्योरेंस के सीईओ हरजीमल अटल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर 16 अप्रैल को तलब किया है।

ने यह आदेश सोनिका राघव के अवमानना प्रार्थना पत्र पर दिया। परिवारी की ओर से अधिवक्ता ओमेन्द्र सिंह ने बताया कि उपभोक्ता आयोग ने 28 अगस्त 2024 को आदेश जारी कर परिवारी के चिरंजीवी योजना के लिए ऑनलाइन 850 रुपए कटने के बावजूद उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होने के सेवादोष मामले में विपक्षीकरण पर 36 हजार रुपए का हर्जाना लगाया था। इसके बावजूद

विपक्षी अफसरों ने उपभोक्ता आयोग के आदेश का पालन नहीं किया। जिसे परिवारियों ने अवमानना प्रार्थना पत्र के जरिए चुनौती देते हुए आदेश की पालना का आग्रह किया। जिस पर आयोग ने अफसरों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। गौरतलब है कि परिवारियों ने साल 2021 में चिरंजीवी योजना के लिए ऑनलाइन 850 रुपए ट्रांसफर किए थे, लेकिन योजना में उसका रजिस्ट्रेशन

दुपहिया वाहन चोर गिरफ्तार

जयपुर। श्यामनगर थाना पुलिस ने कारवाई करते हुए दुपहिया वाहन चुराने वाले एक शांतिर दुपहिया वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित नशा करने का आदि है और नशा पूर्ण के लिए दुपहिया वाहन चुरता है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

विदेश जाने पर रोक, बेटी के नाम 10 लाख रुपए की एफडीआर बनाने के आदेश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े मामले में महिला के सास-ससुर और देवर को अग्रिम जमानत का लाभ देते हुए कहा है कि वे बिना अनुमति विदेश नहीं जाएंगे।

इसके साथ ही अदालत ने बेटी के नाम दस लाख रुपए की एफडीआर बनाने का आदेश देते हुए पक्षकारों को समझौते के लिए मध्यस्थ के समक्ष जाने को कहा है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश सास-ससुर व देवर को अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते

हुए दिए। सुनवाई के दौरान ससुराल पक्ष ने अदालत को आश्वस्त किया कि वे पीडिता और उसकी बेटी के भरण पोषण के लिए हर माह 30 हजार रुपए अदा करेंगे। इस पर अदालत ने कहा कि हर माह की 2 तारीख को पीडिता के बैंक खाते में यह राशि जमा कराई जाए। गौरतलब है कि पीडिता ने खेरखल-तिजारा के महिला थाने में शिकायत दी थी। जिसमें कहा की उसकी शादी जनवरी, 2022 को हुई थी और उसके दो साल की

बेटी है। शादी के कुछ साल बाद ही उसका पति उसे छोड़कर अमेरिका चला गया। पीडिता ने आरोप लगाया कि वहां उसने दूसरी शादी कर ली और वापस भारत लौटने से इनकार कर दिया। पीडिता ने आरोप लगाया की ससुराल पक्ष अब अपनी संपत्ति बेचकर विदेश भागने की साजिश रच रहे हैं। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने तीनों को अग्रिम जमानत का सर्वात लाभ देते हुए बेटी के पक्ष में एफडीआर बनाने के आदेश दिए हैं।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 11 हजार रुपए हर्जाना लगाया

जयपुर (कासं)। जिला उपभोक्ता आयोग क्रम-3 ने पीएम आवास योजना के तहत लिए होम लोन को सब्सिडी के लिए दस्तावेज देरी से भेजने के चलते लाभ से वंचित रहने को सेवा दोष माना है। इसके साथ ही आयोग ने विपक्षी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 11 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। वहीं सब्सिडी राशि 2.67 लाख रुपए परिवान पेश करने की तिथि से 9 फीसदी ब्याज सहित अदा करने को कहा है। आयोग अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माधुर और सदस्य पवन कुमार ने यह आदेश बिंदु चौधरी व अन्य को ओर से दायर परिवान पर सुनवाई करते हुए दिए। परिवान में

पीएम आवास योजना की सब्सिडी के लिए दस्तावेज देरी से भेजने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने कार्रवाई की

अधिवक्ता जितेंद्र कुमार शर्मा ने आयोग को बताया कि परिवारी ने विपक्षी बैंक से करीब पांच साल पहले होम लोन लिया था और पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी के लिए आवेदन किया था। विपक्षी ने परिवारी को आवश्यकता सिद्ध था कि

उनकी ओर से सब्सिडी राशि 2.67 लाख रुपए दिलाने के लिए समस्त जरूरी कार्रवाई की जाएगी। परिवार में कहा गया कि सब्सिडी के लिए बैंक के पोर्टल पर फाइल अप्रूव कर अपलोड की गई थी, लेकिन बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय ने करीब पांच माह बाद 30 मार्च, 2022 को इसे फाइनल अप्रूव किया। इसके अगले दिन ही 31 मार्च को सब्सिडी स्क्रीन बंद हो गई। जिसके चलते परिवारी को सब्सिडी का लाभ नहीं मिला। परिवार में कहा गया कि विपक्षी की देरी के कारण उसे सब्सिडी से वंचित होना पड़ा। ऐसे में उसे मुआवजा और सब्सिडी दिलाई जाए।



BANASTHALI VIDYAPITH

(Notified as Deemed to be University Under Section 3 of the UGC Act)

University for women: University with a difference







Programmes offered

ENGINEERING & TECHNOLOGY	LIFE SCIENCES	DESIGN
B.Tech.* (Comp. Sc. & Engg./Comp. Sc.-Artificial Intelligence/Electronics & Comm./ Electronics & Instru./Electrical & Electronics/Mechatronics/IT/Biotech./Chemical Engg./Electronics Engg.-VLSI Design and Technology) M.Tech. Integrated* (Comp. Sc./Mechatronics)* M.Tech. (Artificial Intelligence) M.Tech. (Comp. Sc./IT) M.Tech. (Robotics & Automation) M.Tech. (VLSI Design) M.Tech. (Remote Sensing) M.Tech. (Biotechnology) M.Tech. (Chemical Engineering) Diploma (Electronics & Instru./ Electrical & Electronics/Mechatronics)*	B.Sc./B.Sc. Hons./B.Sc. Hons. with Research* (Chemistry, Zoology, Botany & Microbiology) B.Sc./B.Sc. Hons./B.Sc. Hons. with Research* (Biotechnology) B.Pharm.* M.Pharm. (Pharmaceutical Chemistry, Pharmaceutics, Pharmacology) M.Sc. (Chemistry) M.Sc. (Microbiology) M.Sc. (Botany) M.Sc. (Zoology) M.Sc. (Biotechnology) M.Sc. (Bioinformatics) M.Sc. (Applied Microbiology & Biotechnology)	B.Des. (Fashion & Lifestyle Design/Communication Design/Industrial Design) M.A. (Textile Designing) M.Des. JOURNALISM & MASS COMMUNICATION B.A./B.A. Hons./B.A. Hons. with Research* (Journalism and Mass Communication) M.A. (Journalism and Mass Communication)
MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES	EARTH SCIENCES	HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
B.Sc./B.Sc. Hons./B.Sc. Hons. with Research* (Phy./Chem./Maths/Comp.Sc./Elect./Stats/Data Science) BCA/B.Com. Hons./BCA Hons./B.A. Hons./B.A. Hons. with Research* (AI/Data Analytics) M.Sc. (Computer Science) M.Sc. (Physics) M.Sc. (Data Science) M.Sc. (Electronics) M.Sc. (Mathematics/Statistics/Operations Research) MCA/PGDCA	B.Sc./B.Sc. Hons./B.Sc. Hons. with Research* (Geology/Geography) M.Sc. (Geography) M.Sc. (Geology) M.Sc. (Environmental Science)	B.A./B.A. Hons./B.A. Hons. with Research* (Hindi, Sanskrit, English, German, French, Sociology, History, Maths, Statistics, Applied Statistics, Political Sc., Public Adm., Economics, Management, Music, Dance, Drama & Theatre Art, Drawing & Painting, Home Science, Textile Designing, Computer Application, Geography, Psychology) M.A. (Economics, History, Sociology, Political Sc., Psychology, Geography, Mathematics, Statistics, Operations Research, Hindi, English & Sanskrit) Master of Social Work
ARCHITECTURE & PLANNING	MANAGEMENT STUDIES	EDUCATION
B.Arch.* LAW B.A./BBA/B.Com. LL.B. (Integrated) LL.M.* (Constitution Law/Criminal Laws & Forensics)	B.Com./B.Com. Hons./B.Com. Hons. with Research* BBA/BBA Hons./BBA Hons. with Research* MBA (Integrated) BSW M.Com. MBA* (Business Analytics/Entrepreneurship/HR/Finance/Marketing/Aviation/Public Policy/Banking and Finance Management)	ITEP B.A.Ed./B.Sc.Ed.* (Secondary/Middle), B.Ed., M.Ed. HOME SCIENCE B.Sc./B.Sc. Hons./B.Sc. Hons. with Research* (Home Science) B.Sc./B.Sc. Hons./B.Sc. Hons. with Research* (Home Science) Food Science & Nutrition M.Sc. (Home Science) (Human Development/Food Science & Nutrition/Clothing & Textile)
LAW	FINE ARTS	NURSING
B.A./BBA/B.Com. LL.B. (Integrated) LL.M.* (Constitution Law/Criminal Laws & Forensics)	M.A. Music (Vocal/Instru.), Dance (Kathak/Bharatnatyam), Dramatic Art (Theatre), Drawing and Painting , MPA* , BPA* , B.V.A. Painting*	B.Sc. Nursing*

*Admission to this course shall be based on all India merit-cum-aptitude test/NCET. One year PG Programmes available for 4 years Hons./Hons. with Research Graduates. Foreign/NRI Admissions : A limited number of seats are available for direct admission of Foreign/NRI students in select courses. Ph.D. : Visit the University website for further details of Ph.D. in all Subjects mentioned above.

Admission 2026-27
Scan to explore for detailed information
Toll Free 1800-270-5855

BANASTHALI VIDYAPITH
P.O. Banasthali Vidyapith (Raj.) 304022 • Phone : +91-1438228384, +91-1438228990
Mob. : +91-9352879844, +91-9352879855, +91-9352879866 • Email : admissions@banasthali.in
Visit us at <http://www.banasthali.org>
Connect with us on www.facebook.com/banasthali.org
Connect with us on www.instagram.com/banasthali_vidyapith_official






For each programme a separate application is required through either:
Option 1 : Online submission of application at the University's website:
<http://www.banasthali.org> or
Option 2 : Send a DD for Pre-application fee of Rs. 1000/- in favour of "Banasthali Vidyapith"
 Payable at Banasthali/Jaipur to:
Secretary-Banasthali Vidyapith, P.O. Banasthali Vidyapith-304022 (Raj.)

Scholarships

The Vidyapith provides financial support to the needy students in the form of merit-cum-need scholarships. It also encourages meritorious students by awarding them merit scholarships.